



32(i))

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर,(राज.)

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/2010-2011/१५६८

दिनांक : 02.09.2010

आदेश :-

**विषय:-** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी सहपठित नियम 11AA के अधीन छूट का नवीनीकरण।

— ०० —

दानदाताओं द्वारा राजसमंद जन विकास संस्थान, सुरगि कॉम्प्लेक्स के सामने, बाथद्वारा रोड, पो.ओ. कांकरोली, भिला-राजसमन्द (PAN AAATR9948J) को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उच्च धारा में विहित रीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

यह छूट दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2013 तक को समाप्त आवधि/कर निर्धारण तार्फ 2013-14 तक निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होगी :—

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह रसाई लग से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र दिनांक/आवधि तक मान्य है।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिट्ठा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिराके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें।
3. यदि संरक्षा के संविधान/गठन में कोई संशोधन विचार जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे।
4. संरक्षा को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/रीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे।



— ६० —  
(एस. पी. मीणा)  
आयकर आयुक्त  
उदयपुर

**नोट :-**

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संरक्षा को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चों की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संरक्षा) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुष्पार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तों पूरी करती हो।

**प्रतिलिपि :-**

1. अध्यक्ष/न्यासी राजसमंद जन विकास संस्थान, सुरगि कॉम्प्लेक्स के सामने, बाथद्वारा रोड, पो.ओ. कांकरोली, भिला-राजसमन्द।
2. आयकर अधिकारी, घार्ड-2, राजसमन्द को प्रेपित कर निर्देश दिए जाते हैं कि संरक्षा/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों को रूपरेखा-पेट्रोल करे कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर वोई द्वारा रामय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं सम्बन्धित नाम लिये वाली शर्तों को निरन्तर पूरा करता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेज--2, उदयपुर।